निविदा आमंत्रित करने संबंधी सूचना
भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवा (चरण-II) के विस्तार हेतु पूर्व पात्रता बोलियों के लिए आमंत्रण

निविदा संख्या 212/14/2005-एफएम

भारत के राष्ट्रपति की ओर से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निविर्दिष्ट पात्रता कसौटी पूरी करने वाली भारत में पंजीकृत कंपनियों से निम्नलिखित खंड 1 में विनिर्दिष्ट शहरों और चैनलों की संख्या के लिए निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं (चरण-II) के विस्तार के लिए निर्धारित प्रपत्र में सीलबंद पूर्व पात्रता बोलियां आमंत्रित करता है।

1. शहर तथा चैनलों की संख्या

1.1 इस चरण में देशभर में 91 शहरों में कुल 338 चैनल भारतीय निजी कंपनियों द्वारा बोली लगाने के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बोली लगाने के लिए प्रत्येक शहर में श्रेणियों तथा चैनलों की संख्या के साथ शहरों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध है। किसी भी चरण पर किसी शहर के लिए चैनलों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ शहरों की संख्या बढ़ाने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है।

1.2 प्रत्येक आवेदक तथा नीचे उल्लिखित उसकी सबंधित कंपनियों को प्रति शहर केवल एक चैनल के लिए बोली लगाने की अनुमति होगी बशर्ते आवेदक और उसकी संबंधित कंपनियों को आंवटित चैनलों की कुल संख्या भारत में आवंटित कुल चैनलों की संख्या की 15 प्रतिशत की समग्र सीमा से अधिक नहीं होगी। यदि आवेदक और उसकी संबंधित कंपनियों को उपर्युक्त कथित समग्र सीमा से अधिक चैनल आवंटित किए जाते हैं, तो आवेदक अपने विवेक से समग्र सीमा का पालन करते हुए चैनलों का चयन करें और अतिरिक्त चैनलों का अभ्यर्पण करें। आवेदक अन्य रूप से जब्त न किए गए अभ्यर्पित चैनलों की वित्तीय बोलियों के साथ भारत सरकार को अदा की गई राशि वापस पाने का हकदार होगा।

सूचना : (1) कंपनियों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए आवंटित चैनलों की कंपनी को आवंटित कुल चैलनों के आकलन के प्रयोजन के लिए गणना की जाएगी :

(क) किसी आवेदक/आवंटिती की सहायक कंपनी

(ख) किसी आवेदक/आवंटिती की धारक कंपनी

(ग) आवेदक/आवंटिती के समान प्रबंधन वाली कंपनी

(घ) आवेदक/आवंटिती के संबंध में एकाधिक अंतर संबंधित उपक्रम

(2) चरण-1 के तहत मौजूदा लाइसेंस धारकों के संबंध में उनके द्वारा चरण-1 के तहत धारित लाइसेंसों पर 15 प्रतिशत सीमा की गणना करने के लिए विचार किया जाएगा।

2. आवेदकों के लिए पात्रता

2.1 विदेशी निवेश

2.1.1 आवेदक कंपनी में, कुल विदेशी निवेश जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर विदेशी कारपोरेट निकायों/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के निवासी आदि द्वारा किया गया एफ डी आई, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ आई आई) द्वारा किया गया पोर्टफोलियो निवेश, तथा उधार, यदि इनका परिवर्तनीय का विकल्प हों, शामिल हैं, कंपनी में प्रदत्त इक्विटी के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, बशर्ते कि :

(i) एक भारतीय व्यक्ति अथवा कंपनी के पास बैंकों अथवा अन्य ऋणदाता संस्थाओं द्वारा धारित इक्विटी छोड़कर आवेदक कंपनी में प्रदत्त इक्विटी से 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी हो

(ii) बहुसंख्यक शेयर धारकों का आवेदक कंपनी पर प्रबंधन नियंत्रण हो

(iii) आवेदक कंपनी के बोर्ड पर निदेशकों के रूप में केवल निवासी भारतीय हो

(iv) आवेदक कंपनी के सभी प्रमुख कार्यपालक निवासी भारतीय हो

2.2. वित्तीय पात्रता

2.2.1 आवेदक सभी चार क्षेत्रों में चैनलों की बोली लगाने के लिए पात्र होंगे, उनकी वित्तीय पात्रता का निर्धारण निम्नलिखित मानदंड के आधार पर किया जाएगा :

प्रत्येक क्षेत्र में प्रति शहर एक चैनल के लिए अपेक्षित न्यूनतम निवल पूंजी

- घ. श्रेणी के शहर : 50 लाख रुपए
- ग श्रेणी के शहर : 1 करोड़ रुपए
- ख श्रेणी के शहर : 2 करोड़ रुपए
- क अथवा क+ श्रेणी के शहर : 3 करोड़ रुपए
- सभी क्षेत्रों में सभी शहर : 10 करोड़ रुपए

(सूचना : "निवल पूंजी" का तात्पर्य किसी उद्यम के देनदारियों की अपेक्षा आस्तियों (काल्पनिक आस्तियां छोड़कर) के खाता मूल्य की अधिकता है। इसका परिकलन कंपनी में कुल प्रदत्त इक्विटी तथा मुक्त आरक्षित में से संचित हानियां, यदि कोई हों, को घटाकर किया जाएगा)

2.2.2 यद्यपि, प्रत्येक आवेदक उसके द्वारा लगाए जाने वाली बोली के लिए शहर की श्रेणी और क्षेत्र का निर्धारित आवेदन प्रपत्र में उल्लेख करेगा तथा उसकी पात्रता तदनुसार, निर्धारित की जाएगी। यदि आवेदक इन ब्यौरों को सूचित न करना चाहे, तो आवेदक कंपनी की न्यूनतम निवल पूंजी 10 करोड़ रुपए होनी चाहिए।

2.2.3 आवेदन कंपनी को पिछले तीन वर्षों की वार्षिक वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित अंतिम खाता प्रस्तुत करना होगा, अथवा नई निगमित कंपनी होने की स्थिति में, अपनी वित्तीय क्षमता के दावे के समर्थन में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित 30 सितम्बर, 2005 की तिथि के अनुसार अथवा बोली की प्रस्तुती की तिथि तक अपनी निवल पूंजी के साथ निगमीकरण की तिथि से 31 मार्च, 2005 तक तुलन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.2.4 31 मार्च, 2005 के पश्चात पंजीकृत कंपनी को अपेक्षित दस्तावेजों जिनमें सांविधिक लेखापरीक्षक अथवा सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र शामिल हैं, के साथ-साथ अपनी प्रदत्त इक्विटी के जरिए 30.09.2005 तक अथवा बोली प्रस्तुतीकरण की किसी भी तिथि तक अपनी निवल पूंजी का प्रकटीकरण करना होगा।

3. अपात्रता

(क) भारत में निगमित न होने वाली कंपनियां

(ख) कोई कंपनी जिसका नियंत्रक नैतिक चरित्रहीनता के अपराध का दोषी पाए गए अथवा दिवालिया घोषित किए गए अथवा दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन देने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया हो

(ग) ऐसी कंपनी जो न्यास, संस्था अथवा गैर लाभकारी संगठन से संबंधित अथवा नियंत्रित हो

(घ) धार्मिक निकाय द्वारा नियंत्रित अथवा उससे संबंधित कंपनी

(ड.) राजनैतिक निकाय द्वारा नियंत्रित अथवा उससे संबंधित कंपनी

(च) ऐसी कंपनी जो विज्ञापन एजेंसी के रूप में कार्यरत हो अथवा विज्ञापन एजेंसी से संबंधित हो अथवा विज्ञापन एजेंसी और विज्ञापन एजेंसी से संबंधित व्यक्ति द्वारा नियंत्रित हो

(छ) उसी शहर के किसी आवेदक की सहायक कंपनी

(ज) उसी शहर के किसी आवेदक की धारित कंपनी

(झ) उसी शहर की समान प्रबंधन वाली कंपनियां

(ञ) उसी शहर में अंतर-संबंधित एकाधिक उपक्रम

(ट) ऐसी कंपनी जिसे चरण-I में चूक के कारण बोली लगाने की प्रक्रिया में भाग लेने से बहिष्कृत किया गया हो अथवा समान प्रबंधन वाली उसकी सहायक कंपनी

(ठ) चरण-I के अंतर्गत शर्तों का पालन करने में असफल व्यक्ति जिन्होंने उनके आशय-पत्र/लाइसेंस करार के निरस्तीकरण को चुनौती दी हैं, को चरण-I की नीति के अनुसार भविष्य में बोली लगाने की किसी भी प्रक्रिया से बहिष्कृत किया जाना जारी रहेगा।

बशर्ते निम्नलिखित अपात्र नहीं होंगे :

(i) चरण-I के अंतर्गत शर्तों और निबंधनों का पालन करने में चूक करने वाली कंपनी जिसका आशय-पत्र/लाइसेंस करार के निरस्तीकरण को वापस लिया गया है तथा उन्होंने इस प्रक्रियों को स्वीकृत किया है तथा चरण-II में भाग लेने के लिए अपना विकल्प दिया है।

(ii) पहले से ही एफएम रेडियो स्टेशन चलाने वाली कंपनी (उन शहारें को छोड़कर जहां वह चरण-I के तहत प्रचालनरत है)।

सूचना 1 : उपर्युक्त खंड घ के प्रयाजनार्थ धार्मिक निकाय वह होगा :

(i) जिसका उद्देश्य समग्र रूप से अथवा मुख्यत: धार्मिक स्वरूप का होगा।

(ii) जिसका नियंत्रण धार्मिक निकाय अथवा धार्मिक निकाय के सहयोगी द्वारा नियंत्रित है।

सूचना 2 : उपर्युक्त खंड ड. के प्रयोजनार्थ राजनैतिक निकाय वह होगा :

(i) जिसके उद्देश्य समग्र रूप से अथवा मुख्यत: राजनैतिक स्वरूप के हैं;

(ii) जो किसी राजनैतिक पार्टी से संबंधित हैं;

(iii) ऐसा निकाय कारपोरेट जो उपर्युक्त संदर्भित राजनैतिक स्वरूप के निकास द्वारा धारित, उसके सहयोग से प्रचालित अथवा नियंत्रित हो।

सूचना 3 : खंड (च) के प्रयोजनार्थ "विज्ञापन एजेंसी" का तात्पर्य होगा कि व्यक्ति अथवा निकाय कारपोरेट जो विज्ञापन एजेंसी का कारोबार करता हो (स्वयं अथवा भागीदारी में) अथवा ऐसे किसी निकाय कारपोरेट पर नियंत्रण रखता हो, जो विज्ञापन एजेंट के रूप में कारोबार करता हो तथा किसी विज्ञापन एजेंसी से संबंधित संदर्भ में उस व्यक्ति का संदर्भ शामिल है जो -

(i) किसी निकाय कारपोरेट का निदेशक अथवा अधिकारी है जो ऐसा कारोबार करता हो, अथवा

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तैनात जो ऐसा कारोबार करता हो

सूचना 4 : खंड (छ) (ज) तथा (झ) के प्रयोजनार्थ शब्द "समान प्रबंधन", "सहायक कंपनी" तथा "धारित कंपनी" का अर्थ वही होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है;

सूचना 5 : खंड (ञ) के प्रयोजनार्थ शब्द "अंतर संबंधित उपक्रम" का अर्थ वही होगा जिसे एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 में दिया गया है।

सूचना 6 : यदि आवेदक और सहायक कंपनी/स्वामित्व वाली कंपनी/समान प्रबंधन वाली कंपनी/अंतर-संबंधित उपक्रम उसी शहर के लिए एक से अधिक बोली प्रस्तुत करती है तो मूल्यांकन के लिए केवल सबसे अधिक लगाई गई वैध बोली पर ही विचार किया जाएगा।

4. बोली लगाने की प्रक्रिया और अन्य शर्तें

किसी भी शहर में एफएम रेडियो चैनल स्थापित करने और चलाने की अनुमति की स्वीकृति के लिए अंतिम चयन निविदा दस्तावेज में दी गई कसौटी और प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात पूर्व पात्रता बोलियों (चरण-I) में पात्र पाए गए आवेदकों में से चरण II (वित्त्तीय बोली) में किया जाएगा। निविदा दस्तावेज मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in) से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001 के सुविधा केंद्र से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

5. आवेदन और प्रक्रिया शुल्क

इच्छुक पक्ष निविदा दस्तावेज के अनुबंध क और ख में विनिर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार अपनी इच्छानुसार बोली लगाने के लिए कई चैनल हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन के साथ निविदा

दस्तावेज में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए जाएं तथा प्रक्रिया शुल्क के रूप में वेतन एवं लेखा अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में 10000/-रुपए (दस हजार रुपए मात्र) का नई दिल्ली में देय अनुसूचित बैंक का मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) संलग्न किया जाए। ऊपर उल्लिखित पात्रता मानदंड तथा निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तें पूरी करने वाले सभी आवेदकों को बोली लगाने की प्रक्रिया के चरण II (वित्तीय बोलियां) में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

6. बोली दस्तावेज में संशोधन

6.1 पूर्व पात्रता बोलियों (चरण I हेतु बोली पैक) के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार अपनी स्वयं की पहल अथवा संभावित आवेदकों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के उत्तर में, इसकी जरूरतों में संशोधन कर सकता है।

6.2 ये संशोधन मूल निविदा दस्तावेज की तरह ही जन सामान्य के लिए अधिसूचित किए जांएगे तथा ये संशोधन आवेदकों के लिए बाध्य होंगे तथा इनका अनुपालन आवेदकों द्वारा किया जाना होगा।

6.3 संभावित आवेदकों को यथोचित समय जिसमें वे अपनी बोलियां तैयार करने के लिए संशोधनों को ध्यान में रख सकें, देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार बोलियों के प्रस्तुतीकरण हेतु अपने विवेक से अंतिम तिथि बढ़ा सकता है।

7. बोलियां प्रस्तुत करना

7.1 चरण I (पूर्व पात्रता बोलियां) हेतु बोली पैक की तीन प्रतियां सभी प्रकार से पूरी करके सीलबंद लिफाफे में निम्नलिखित अंकित करते हुए प्रस्तुत की जाएं :

एफएम रेडियो प्रसारण चरण II – स्तर I
(आवेदक का नाम एवं पता)

उसके प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या अंकित की जाए तथा पृष्ठों की संख्या का प्रथम पृष्ठ पर उल्लेख किया जाए। बोली पैक की एक प्रति पर 'मूल' लिखा जाए तथा प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक द्वारा स्याही से हस्ताक्षर किया जाएगा और अन्य प्रतियों पर 'प्रतिलिपि' अंकित किया जाएगा।

सीलबंद लिफाफे पंजीकृत डाक/कुरियर द्वारा श्री बी. एस. रावत, अवर सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, क स्कंध, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजे जाएंगे अथवा सुविधा केंद्र, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सकरार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 में जमा किए जाएंगे। भारत सरकार डाक/कुरियर द्वारा भेजे गए बोली पैक की प्राप्ति में हुई देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

8. बोलियां प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि

8.1 चरण I (पूर्व पात्रता बोलियां) हेतु बोली पैक 7 नवम्बर, 2005 को 1.00 बजे अपराह्न तक पैरा 8.1 में दिए गए पते भर सुपुर्द किए जाएं।

8.2 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार अपने विवेक से बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ा सकता है।

8.3 बोलियां प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तिथि की समाप्ति के उपरांत प्राप्त की गई कोई भी बोली, विलंब का कोई भी कारण हो, स्वीकृत नहीं की जाएगी तथा बिना खोले ही उसे आवेदक को वापस भेज दिया जाएगा।

8.4 अधूरी बोलियां स्वीकृत नहीं की जाएंगी। तथापि, भारत सरकार अपने विवेक से बोलियों की लघु त्रुटियों को नजरअंदाज कर सकती है अथवा ऐसी त्रुटियों को सुधारने के लिए समय दे सकती है।

9. शर्तें

इस एनआईटी के खंडों और निविदा दस्तावेजों के तदनुरूप खंडों में किसी परस्पर विरोध की स्थिति में, निविदा दस्तावेज में दी गई शर्तें लागू होंगी।

10. वेबसाइट

10.1 भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जैसाकि इसमें पहले उल्लेख किया गया है, ने निविदा दस्तावेज को अपनी वेबसाइट www.mib.nic.in में डाला है तथा इस वेबसाइट का निविदा की शर्तों अथवा बोली लगाने की प्रक्रिया आदि में साधारण स्पष्टीकरण अथवा परिवर्तनों संबंधी सूचना यदि कोई हो, को देने के लिए मुख्य साधन के रूप में प्रयोग करेगी। इसी प्रकार, मसौदा आशय पत्र/अनुमति की स्वीकृति का करार, प्रसार भारती/बी ई सी आई एल के साथ करार, विभिन्न प्रपत्र और अनुबंध इत्यादि जैसे सभी संगत दस्तावेज समय-समय पर इस वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। इसलिए, सभी संभावित आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि यथासंभव समय-समय पर इस वेबसाइट को देखें ताकि

एफएम रेडियो प्रसारण (चरण II) की नीति के क्रियान्वयन के संबंध में नवीनतम घटनाक्रमों की अद्यतन सूचना प्राप्त हो सके। इस एनआईटी के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक पक्ष usfm-inb@nic.in पर ई-मेल भेज सकता है।

(आर. के. गोयल)

निदेशक (बीपीएल एवं बीडीएफ)

नई दिल्ली,

21 सितम्बर, 2005